"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 544] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 नवम्बर 2014—— कार्तिक 10, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

क्रमांक 9354/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 3 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3, 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावी होगा.

धारा 6 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) राज्य शासन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से अनिम्न के सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(3) अधिकरण में ऐसे सदस्य होंगे जिनकी अर्हता ऐसी होगी जैसा कि राज्य शासन विहित करे.

(4) राज्य शासन, ऐसे अधिकारी को अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के प्रवर्ग अथवा राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :-

"(6) अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा तथा राज्य शासन, अधिकरण द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अन्य स्थान नियत कर सकेगा, जैसा कि उचित समझे.

(7) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निबंधन एवं सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये."

4. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :- नवीन धारा 13-क का अन्तःस्थापन.

"**13-क. नियम बनाने की शक्ति.**-(1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर, जब वह सत्र में कुल तीस दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि उस सत्र जिसमें इसे पटल पर रखा गया है अथवा उसके ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन यदि नियम में किसी प्रकार के उपान्तरण की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

5. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के सरल क्रमांक 2 में शब्द "निर्धारित प्रारूप-ग पर जानकारी दर्ज" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये पर जानकारी प्रस्तुत" प्रतिस्थापित किया जाये. अनसूची 3 का संशोधन.

रायपुर, दिनांक 31 अक्टूबर 2014

क्रमांक 9354/डी. 168/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 3 of 2014)

THE CHHATTISGARH RENT CONTROL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2014

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Rent Control (Amendment) Ordinance, 2014. **Short title, extent and commencement.**

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3, 4 and 5 of this Ordinance.

Amendment of Section 6.

3. (1) For sub-section (2), (3) and (4) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The State Government shall appoint the Chairman of the Rent Control Tribunal, a retired Judge of the High Court or serving or retired District Judge not below the rank of Super Time Scale.

(3) The Tribunal shall have such other members with such qualification, as the State Government may prescribe.

(4) The State Government shall appoint an officer as the Registrar of the Tribunal, who shall not be below the cadre of Civil Judge Class-I or the rank of Deputy Secretary to the State Government."

(2) After sub-section (5) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"(6) The Tribunal shall have its headquarter at Raipur and the State Government may, by notification, fix such other places for hearing of matters by the Tribunal, as it deems fit.

(7) The terms and conditions of the service of the Chairman and members of the Tribunal shall be such as may be prescribed by the State Government."

Insertion of new Section 13-A.

4. After Section 13 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"**13-A. Power to make rules.**- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make Rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every Rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification to the Rule or the House agrees that the Rule should not be made, as the case may be, and notifies such decision in the Official Gazette, the Rule shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, however any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done or omitted to be done under that Rule."

Amendment of Schedule 3.

5. In Serial Number 2 of Schedule 3 of the Principal Act, for the words "Form C" the words "such proforma as may be prescribed" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.